अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–आजमगढ़

पत्रांकःमान्यता/ 2906-10 /2018–19 दिनांक 19/05/2019

सेवा में,

प्रबन्धक
शिवम् चिल्ड्रेन ऐकेडमी नवरसिया,
तरवां–आजमगढ़।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **शिवम् चिल्ड्रेन ऐकेडमी नवरसिया, तरवां–आजमगढ़** को दिनांक 01 जुलाई 2017 से दिनांक 30.06.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल0के0जी0 से 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन है :–

1:–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2:–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3:–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4:–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5:–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

❖ अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहेतायें अर्जित करेगें।

❖ अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7:–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8:–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है :–

क्रमशः02

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई घर
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9:–विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

10:–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11:–विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12:–स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13:–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14:–आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या **(वर्ष–2017/56)** है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15:–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16:–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाय।

17:–विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18:–शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का शासन द्वारा अनुगन्य पद ही मान्य होगा।

19–संलग्नक अनुलग्नक के अनुसार अन्य शर्ते।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

पृ0सं0:मान्यता/ —/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अपर शिक्षा निदेशक (बे0)शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
4–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी